न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0172/2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

तारीख रजू:– 12.01.2021

किशनसिंह पुत्र मंगल जाति जाट निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —————————————————————— सायल

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र अमरसिंह
2. वेदप्रकाश पुत्र अमरसिंह

जाति जाट निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन (लैण्ड होल्डर)– गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट सायल
2. श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट गैरसायल सं.1,2

निर्णय

दिनांक :– 29-6-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद पत्र बाबत् बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अदालत हाजा में पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायल 5/112 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल सं01 व 2 उक्त भूमि में सहखातेदार काश्तकार है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 व 2 बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जो कि आये दिन किसी ना किसी व्यक्ति से लडाई झगडा, दंगा फिसाद करते रहते हैं, आज के दौर में जमीनों की कीमतें अत्यधिक होने के कारण गैरसायल सं01 व 2 के मन में बदयान्ति आ गयी है और गैरसायल सं01 व 2 ने सायल के हिस्से की उक्त आराजीयात भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया है, सायल ने गैरसायल को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन गैरसायल सं01 व 2 नहीं माने और सायल की उक्त जमीन को जबरन लट्ठ के बल पर अतिक्रमण कर लिया।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि दिनांक 25.12.2020 को सायल ने गैरसायल सं01 व 2 से हाथ जोडकर गांव के पंच पटैलान इकट्ठा करके समझाया कि मेरे हिस्से की जमीन पर कब्जा मत करो, तो गैरसायल सं01 व 2 नाराज हो गये और सायल से गाली गलौंच करने लगा और कहने लगा कि उक्त जमीन से तेरा कोई लेना देना नहीं है। मैने उक्त जमीन पर लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया है। यदि उक्त जमीन की तरफ तू आया तो तेरे हाथ पैर तोड दूंगा। यदि गैरसायल सं01 व 2 अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल सं01 व 2 पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायल सं0 1 व 2 को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाकर गैरसायल सं01 व 2 का कब्जा हटाया जाकर गैरसायल सं01 व 2 को जरिये टी.आई. से पाबन्द किया जाना आवश्यक है तथा यदि जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायल के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल सं01 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायल सं03 तहसील हिण्डौन को आदेश दिया जावे कि विवादित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 ग्राम खेड़ा तहसील हिण्डौन में सायल के हिस्सा 5/112 से गैरसायल सं01 व 2 को बेदखल कर सायल का कब्जा संभलाया जावे तथा गैरसायल सं01 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा गैरसायल सं01 व 2 सायल की आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेड़ा तहसील हिण्डौन में सायल के हिस्से 5/112 को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवें। सायल के हिस्से की भूमि में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा सायल की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें तथा गैरसायल सं01 व 2 ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायल को कोई क्षति पहुँचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं0 1 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्व वाद पत्र पेश करना स्वीकार है, जो गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है और स्वीकार है। इस मद में वर्णित आराजी में सायल का 5/112 हिस्सा होना स्वीकार है तथा गैरसायलान उक्त भूमि में सहखातेदार होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। गैरसायल सं01 व 2 बदमाश किस्म के व्यक्ति नहीं है, और ना ही किसी भी व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फिसाद करते हैं। गैरसायल सं01 व 2 के दिल में कोई बदयांति नहीं है। गैरसायल सं01 व 2 ने सायल के हिस्से की उक्त आराजीयात भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है। गैरसायलान ने सायल की किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। गैरसायलान ने सायल की किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं किया है। बल्कि गैरसायल सं01 व 2 अपने अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है, सायल की कोई भूमि गैरसायलान नं01 व 2 के पजेशन में नहीं है, ना ही गैरसायल नं0 1 व 2 का अतिक्रमण ही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है,गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 25.12.2020 को इस मद में वर्णित कोई बात सायल से गैरसायल सं01 व 2 की नहीं हुयी है। गैरसायलान ने सायल की किसी भी भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है, गैरसायल नं0 1 व 2 ने सायल को कोई गाली गलौच नहीं की, इस मद में वर्णित कोई घटना गैरसायलान नं01 व 2 द्वारा सायल के साथ नहीं की है। गैरसायलान ने सायल के हिस्से की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। गैरसायल नं01 व 2 अपने हिस्से की जमीन पर ही काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। सायल ने कतई गलत एवं झूंठा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05, गलत हैं, अस्वीकार है। गैरसायल नं01 व 2 को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता। यदि पाबन्द कर दिया तो गैरसायल नं01 व 2 को अपूर्तनीय क्षति होगी। चाही गई रिलीफ से इंकारी है। सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नहीं है, ना ही सायल का प्रथम दृष्टया केस ही साबित है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं0 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेडा में 21 सहखातेदारान है, जिसमें सायल ने अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। गैरसायलान के हिस्से की भूमि में सायल की कोई भूमि दबी हुई नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 186 की पैमाईश करवाकर जिस खातेदार की भूमि में सायल की भूमि दबी हुई है, उसे निकलवाकर सायल को दिया जावे। जिसमें गैरसायल सं01 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायल को इस बात का इल्म नहीं है कि किस सहखातेदार के हिस्से की भूमि में सायल की भूमि दबी हुयी है। सायल ने अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध पक्षकार बनाकर रिलीफ नहीं चाही है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाकर उचित कार्यवाही करने करने एवं गैरसायल सं01 व 2 को कानूनन पाबन्द नहीं करने की इस्तदुआ चाही गई है।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2071 –74 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमरसिंह पुत्र बत्तू हिस्सा 5/1008, अमरसिंह पुत्र बत्तू हिस्सा 1/144, किशनसिंह पुत्र मंगल हि0 5/112, जितेन्द्रसिंह पुत्र सिव्वा हि0 1/48, टीकेन्द्रसिंह पुत्र सिव्वा हि0 1/48, धूपसिंह पुत्र बत्तू हिस्सा 1/144, धूपसिंह पुत्र बत्तू हिस्सा 5/1008, प्रभू पुत्र बत्तू हि0 5/1008, प्रभू पुत्र बत्तू हिस्सा 11/84, प्रभू पुत्र बत्तू हिस्सा 1/144, भूपसिंह पुत्र सिव्वा हि01/48, राजेन्द्र पुत्र अमरसिंह हि0 11/336, रामजीलाल पुत्र गंगाधर हि0 5/336, रामजीलाल पुत्र गंगाधर हि01/48, रामजीलाल पुत्र गंगाधर हि0 11/42, लज्जा पुत्री अमरसिंह हि0 1/336, वेदप्रकाश पुत्र अमरसिंह हि0 11/336, शकुन्तला पत्नि अमरसिंह हि011/336, हरनन्द पुत्र गंगाधर हि0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

42. हरनन्द पुत्र गंगाधर हि0 1/48, हरनन्द पुत्र गंगाधर हि05/336, जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में सायल किशनसिंह पुत्र मंगल हिस्सा 5/112 एवं गैरसायल राजेन्द्र वेदप्रकाश पिसरान अमरसिंह हि0 बराबर हिस्सा 22/336 के खातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में सायल एवं गैरसायल सं01 व 2 व अन्य मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि सायल एवं गैरसायल सं01 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर प्रथक प्रथक खाता व लगान अलग अलग कायम नहीं हो जाता है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजी में सायल के हिस्सा 5/112 भाग की भूमि पर गैरसायल सं01 व 2 ने जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकन नहीं किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 ग्राम खेडा की भूमि के किस हिस्से पर उसका कब्जा काश्त था तथा गैरसायल सं01 व 2 का हिस्से पर कब्जा काश्त है। सायल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त विवादित आराजी में सायल के हिस्सा 5/112 भाग की भूमि पर गैरसायल सं01 व 2 ने जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया हो, सायल के हिस्से की भूमि पर अन्य सहखातेदारान का भी तो कब्जा हो सकता है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सायल ने तथ्यों को छिपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र मात्र गैरसायल सं01 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है। गैरसायल सं01 व 2 उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण कानूनन उनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रार्थना पत्र में बेदखली

की जो रिलीफ चाही गई है वह प्रार्थना पत्र में सायल को नहीं दी जा सकती है क्योंकि बेदखली की रिलीफ का वाद वादी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नजर आता है और ना ही सायल का अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही साबित है, तथा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, बल्कि प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन के बाबत् दिनांक 12.01.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.6.23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)